न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 46/2018

प्रभूसिंह चौहान निवासी मु0पो0 पलेई वाया बनस्थली विधापीठ निवाई जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 29.10.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 21-08-.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

(क) पी.डी.(प्राथमिक डिकी)की प्रतिलिपि।

(ख) फाईनल डिकी की प्रतिलिपि।

(ग) तहसीलदार प्राथमिक डिकी के आधार पर बनाया गया नक्शा।

(घ) उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार अरूण शर्मा को लिखा गया पत्र पत्रांक 20113 दिनांक 22.08.2016 की छायाप्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकरी निवाई को पत्र कमांक 1371 दिनांक 11.10.2018 व 1417 दिनांक 22.10.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्र कमांक 4327 दिनांक 26.10.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र कमांक 1402 दिनांक 26.09.2018 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे सूचित किया गया था कि वह कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त करें किन्तु वह उपस्थित नही हुए है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक